nt>

<u>14.01 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at one minute past

Fourteen of the Clock.

(Mr. Speaker *in the Chair*)

MATERS UNDER RULE 377*

MR. SPEAKER: Hon. Members, Matters under Rule 377 listed in today's List of Business may please be treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to expedite the construction of Renuka Dam in Sirmaur district, Himachal Pradesh. − Laid.

डॉ0 कर्नल धनीराम शाँडिल्य (शिमला): अध्यक्ष महोदय, शिमला संसदीय क्षेत्र के सिरमौर जिले में रेणुका एक धार्मिक, पौराणिक एवं पावन पर्यटन स्थल है। पर्वत मालाओं से घिरे इस आर्काक क्षेत्र में पिछले कई र्वाों से प्रस्तावित रेणुका-बांध का निर्माण-कार्य हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सरकार, उच्चतम न्यायालय एवं केन्द्र सरकार के बीच कुछ औपचारिकताओं को लेकर लम्बित पड़ा है।

मान्यवर, रेणुका बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली 40 मेगावाट बिजली से हिमाचल विद्युत बोर्ड को लगभग 25 करोड़ से अधिक की वार्िाक आय प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 23 क्युबिक मीटर पानी प्रति सैकिंड राजधानी दिल्ली को मिलेगा। इस बांध के निर्माण की लागत का 15 प्रतिशत पैसा राज्य विद्युत बोर्ड तथा 85 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस बांध से बनी झील की लम्बाई लगभग 21 कि0मी0 होगी, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रवासी पक्षी भी यहां पहुंचेंगे। बांध के निर्माण से रोजगार-सृजन होगा, जिससे हजारों बेरोजगारों को काम उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि रेणुका बांध के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाये ताकि बांध निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हो, ताकि राजधानीवासियों को जल मिले और हिमाचल के सिरमौर वालों को रोजगार व प्रगति मिल सके।

*Treated as laid on the Table.